भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4266

26 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

खाद्य तेल का आयात

4266. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश अपनी खाद्य तेल आवश्यकता का 55-60 प्रतिशत आयात करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारत किन देशों से खाद्य तेल आयात कर रहा है;

(ग) क्या सरकार ने देश में खाद्य तेल की खपत का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण शुरू किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस सर्वेक्षण के लिए 10,100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) खाद्य तेल के आयात को कम करने तथा 2022-23 के दौरान 39 मिलियन टन उत्पादन को बढ़ाकर इसे 2030-31 तक 70 मिलियन टन करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): जी हां। खाद्य तेल की 57% आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी की जाती है क्योंकि खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन घरेलू मांग को पूरा करने में असमर्थ है। **(विवरण अनुबंध-I में दिया गया है)।**

आयातित तेलों की कुल मात्रा में से, पाम तेल (कच्चा + रिफाइंड) लगभग 57% है और मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से आयात किया जाता है, जबकि सोयाबीन तेल लगभग 20% है और अर्जेंटीना और ब्राजील से आयात किया जाता है और सूरजमुखी तेल 22% है और मुख्य रूप से यूक्रेन, रूस और अर्जेंटीना से आयात किया जाता है।

(ग) और (घ): कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने खाद्य तेल की खपत के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने के लिए MyGov.in के माध्यम से एक ऑनलाइन "खाद्य तेल खपत पर सर्वेक्षण" शुरू किया है। सर्वेक्षण MyGov प्लेटफॉर्म पर है और इसके लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

(ङ): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक पहल राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन (एनएमईओ-ओएस) को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना है और इसे वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक सात साल की अवधि में पूरे देश में लागू किया जाएगा इसके लिए 10,103.38 करोड़ रुपये (7,481.67 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ) का परिव्यय निर्धारित किया गया है ताकि खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके।

एनएमईओ-तिलहन का उद्देश्य रेपसीड-सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल जैसी प्रमुख प्राथमिक तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाना और, साथ ही कपास के बीज, चावल की भूसी, मकई तेल और वृक्ष जनित तेलों जैसे माध्यमिक स्रोतों से संग्रह और निष्कर्षण दक्षता को बढ़ाना है। मिशन का लक्ष्य प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन टन (2022-23) से बढ़ाकर वर्ष 2030-31 तक 69.7 मिलियन टन करना है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देने के साथ देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) भी शुरू किया है। यह मिशन वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पूर्वोत्तर राज्यों में 3.28 लाख हेक्टेयर और शेष भारत में 3.22 लाख हेक्टेयर के साथ ऑयल पाम वृक्षारोपण के तहत 6.5 लाख हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र लाएगा।

तिलहन किसानों को समर्थन देने के लिए, कच्चे सोयाबीन तेल, कच्चे पाम तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल का मूल सीमा शुल्क 0% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया, जिससे कच्चे तेलों पर प्रभावी सीमा शुल्क 27.5% हो गया है। इसके अतिरिक्त, रिफाइंड पाम तेल, रिफाइंड सूरजमुखी तेल और रिफाइंड सोयाबीन तेल पर बीसीडी को 12.5% से बढ़ाकर 32.5% कर दिया गयाजिससे दिनांक 14 सितम्बर, 2024 से रिफाइंड तेल पर प्रभावी सीमा शुल्क 35.75% हो गया है। ये समायोजन घरेलू तिलहन किसानों को मजबूत करने के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं।

****

लोकसभा में दिनांक 26 मार्च 2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4266 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-I

वर्ष (नवम्बर-अक्तूबर)	खाद्य तेलों की घरेलू उपलब्धता	खाद्य तेलों का आयात*	कुल उपलब्धता/खपत	आत्मनिर्भरता का %	आयात का % हिस्सा
2019-20	106.55	134.16	240.71	44.3	55.7
2020-21	111.51	134.52	246.03	45.3	54.7
2021-22	116.5	141.93	258.44	45.1	54.9
2022-23	124.23	165.00	289.23	42.95	57.04
2023-24	121.75**	156.55	278.3	43.74	56.25

* वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (वाणिज्य मंत्रालय)

** दिनांक 10.03.2025 को जारी डीएसीएफडब्लू द्वारा घोषित दूसरे अग्रिम अनुमानों के आधार पर